

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

एवं प्रतिपक्षी से। ताप के एक हिस्से
की यथावत बनाई रखी जावे। शेष
एवं हिस्सेदालन के हिस्से अस्थाई
निवेद्यावा से निरप्रभावी रहेगी
पगावली नियत डिनो क 22/1/18
की पूर्ववत पेश हो।

अ.
उपस्थ अधिकारी
बिनाई, जिला टों

22-1-18

जायी व जायी के बरील को रुठ-रुठ कर
बार-बार आवज लगायी गयी। अनुपास्थित है।
अतः जायी का प्रपत्र अदालत हाजरी इदम
पेशी में लारज किया जाय है। पगावली केमलमु
दोस्र नम्बर से कम हो तथा शामिल मूल वाद
है।

अ.
22/1/18
उपस्थ अधिकारी
बिनाई, जिला टों